राजस्थान महिला निधि

राजीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना

क.सं.	योजना का नाम	मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना
1.	लक्ष्य समूह	ग्रामीण क्षेत्र में राजीविका द्वारा प्रोन्नत पात्र महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य, जिनके संकुल स्तरीय संगठन राजस्थान महिला निधि के सदस्य हो।
2.	ऋण का उद्देश्य	कृषि और गैर–कृषि क्षेत्र के तहत सभी आय सृजन गतिविधियों के संचालन हेतु।
3.	पात्रता	राजीविका द्वारा लखपति दीदी योजना में चयनित लखपति दीदी ही इस योजना के अंतर्गत पात्र होगी।
4.	ऋण राशि	प्रति सदस्य ऋण राशि परियोजना लागत के अनुसार होगी जिसकी अधिकतम सीमा 1,00,000/– रूपये होगी।
5.	मार्जिन	परियोजना लागत का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में सदस्य द्वारा योगदान।
6.	ब्याज दर	वर्तमान में 10.5 प्रतिशत परन्तु राज्य सरकार द्वारा इस योजना अंतर्गत 9 प्रतिशत अनुदान देय होने के फलस्वरूप तथा नियमित किश्त भुगतान करने पर वास्तविक ब्याज दर 1.5 प्रतिशत होगी।
7.	ऋण की चुकौती अवधि	ऋण राशि 36 माह में मासिक किश्त (ई.एम.आई) के रूप में चुकाई जानी है। बीपीएम/वीओ/सीएलएफ द्वारा मासिक किस्तों की समय पर यानी हर महीने 1 से 7 तारीख के बीच वसूली में सहयोग किया जाएगा।
8.	वर्तमान बकाया ऋण	सुविधा ऋण योजना के तहत ऋण लेने वाला सदस्य महिला उद्यमी ऋण योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि मौजूदा ऋण ने 12 महीने पूरे कर लिए हों और आवेदन की तारीख तक कोई ई.एम.आई अतिदेय न हो।
9.	एच.एल.पी (हाउसहोल्ड लाइवलीहुड प्लान) की तैयारी और मूल्यांकन	ब्लॉक स्तर पर पात्र सदस्यों और गतिविधि की पहचान करने के बाद घरेलू आजीविका योजना (एच.एल.पी) तैयार की जाएगी, सदस्यों के ऋण अनुरोध तैयार किए जाएंगे और के.वाई.सी. मानदंडों के अनुसार सदस्य प्रमाणीकरण बीपीएम/वीओ/सीएलएफ स्तर पर पूरा किया जाएगा। एच.एल.पी के साथ ऋण अनुरोध का सत्यापन/अनुमोदन के लिए सहायक प्रबंधक/प्रबंधक के पास भेजा जाएगा। सहायक प्रबंधक या प्रबंधक स्वयं सहायता समूह और उसके सदस्यों के साथ बातचीत करने और निवास/परिसर जहां गतिविधि प्रस्तावित है, का स्पॉट निरीक्षण करने के बाद एच.एल.पी का सत्यापन करेगा। ऋण प्रस्ताव के मूल्यांकन में किसी भी चूक के लिए सहायक प्रबंधक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ऋण अनुरोध और एच.एल.पी को क्षेत्रीय प्रबंधक के लॉगिन पर भेजा जाएगा। यदि एच.एल.पी सही पाया जाता है तो क्षेत्रीय प्रबंधक उसे मंजूरी दे देगा। एच.एल.पी की जांच में किसी भी चूक के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उपरोक्त प्रक्रिया को ऋण अनुरोध की तारीख से 10 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनुमोदन पर, अनुरोध को मंजूरी/अनुमोदन के लिए प्रधान कार्यालय को भेजा जाएगा। अनुमोदन की पूरी प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
10.	ऋण राशि जारी करना	ऋण राशि स्वयं सहायता समूह के बचत बैंक खाते में जारी की जाएगी और स्वयं सहायता समूह बिना किसी देरी के ऋण राशि को संबंधित सदस्य के बचत खाते में स्थानांतरित कर देगा या ऋण राशि सीधे संबंधित सदस्य के खाते में सीधे भुगतान के लिए स्वयं सहायता समूह की सहमति दर्शाने वाला प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए, साथ ही यह वचन दिया जाए कि ऋण चुकौती उद्देश्य के लिए स्वयं सहायता समूह की सामूहिक जिम्मेदारी होगी।
11.	ऋण का उपयोग	स्वयं सहायता समूह और बीपीएम/वीओ/सीएलएफ, स्थापित व्यवसाय/इकाई के उद्देश्य और स्थापना के लिए सदस्य द्वारा ऋण राशि का उपयोग सुनिश्चित करेंगे। स्वयं सहायता समूह को राशि जारी होने के एक महीने के भीतर सहायक प्रबंधक/प्रबंधक को इकाई का दौरा करना होगा और सत्यापन करना होगा। ऋण उपयोग का विवरण वीओ/सीएलएफ के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाना है।

		बीपीएम/सीएलएफ कैडर को योजना के तहत वित्तपोषित इकाई का नियमित दौरा **सुनिश्चित करना होगा।**
12.	ऋण की सुरक्षा	राजस्थान महिला निधि ऋण से बनाई गई चल/अचल संपत्ति क्रमश राजस्थान महिला निधि के अधीन बंधक/चार्ज में रखी जाएगी।
		सम्पूर्ण बकाया ऋण राजस्थान महिला निधि ऋण सुरक्षा योजना के तहत कवर किया जाएगा। जिसके लिए ऋण सुरक्षा राशि प्रति हजार रू. 2.30 देय होगा।
13. राजस्थान महिला निधि को उचित प्रक्रिया के आधार पर मामलों को अस्वीकार करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा।		
इस संबंध में कोई भी विवाद जयपुर क्षेत्राधिकार के अधीन है।		